न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 05/18

1. मदनलाल पुत्र खिराजराम जाति सुथार साकिन राजीव नगर, खाजूवाला तह. खाजूवाला जिला बीकानेर। ....अपीलांट

बनाम

1. मा ाुक अली पुत्र श्री लखे खां जाति मुसलमान निवासी 2 बीआरडब्लूएम, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत 7 पीएचएम।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाशकगण :–

1. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेसपोडेन्ट सं0 1 एकपक्षीय कार्यवाही।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 27.01.2020**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पे ाकर जैर अपील आदे ा को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 2 बीआरडब्लूएम (ए) के मु0न0 141/23 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की 18.10 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 के 1/6 हिस्से की भूमि दिनांक 08.06.2017 को प्रतिफल रा ि अदा करके खरीद की है। जिसका इंतकाल सं0 218 रेस्पोडन्ट सं0 3 के प्रतिनिधि हल्का पटवारी ने दर्जकर आर.आई. की जांच बाद रेस्पोडेन्ट सं0 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसने राजनीतिक रंजि ाव ा दिनांक 20.04.2018 को मौके पर विवाद का नोट लगाकर निरस्त फरमा दिया गया। जो रंजि ाव ा किया गया है और रेस्पोडेन्ट सं0 2 को कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर जैर अपील आदे ा निरस्त किया जावे।

सर्वोतम अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलबी समन जारी कर तलब किया गया जिसपर रेस्पोडेन्ट सं0 1 उक्त नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट से तलबी हुई।

अन्य रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के विरुद्ध दिनांक 16.12.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।पैरोकारराज उपस्थित आये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई जिसमें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपनी बहस में भी बताया कि उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद किया है और वरवक्त बैयनामा कब्जा ले लिया गया था। फिर भी राजनीतिक रंजि ाव ा बिना मौका मुआयना किये बिना प्रस्ताव एकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदे ा पारित कर दिया जो कतई कायम रखने योग्य नहीं है।

अपीलांट की बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन व मनन किया गया। चूंकि अपीलांट ने जैर अपील भूमि में से 1/6 हिस्सा रकबा जरिये बैयनामा दिनांक 08.06.2017 को खरीद किया है। जिसका जैरअपील आदे ा इंतकाल सं0 218 को पटवारी हल्का ने दिनांक 09.04.2018 को भरा है तथा आई.आर. 6 पीएचएम ने उसको बैयनामा का रिकॉर्ड से मिलान होता है की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2018 को कर दी । उसके उपरान्त ग्राम पंचायत ने दिनांक 30.04.2018 को उक्त जैरअपील आदे ा से इंतकाल अस्वीकृत किया है। जो कतई न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सूचना बिना मौका मुआयना बिना प्रस्ताव लिए उक्त आदे ा पारित किया है तथा यह आदे ा स्पीकिंग आदे ा की श्रेणी में नहीं है। जिसे कायम रखा जाना कतई न्यायोचित नहीं है।

अपील मियाद पत्र पर भी अपीलांट को सुना गया अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम पे ाकर निवेदन किया कि उक्त जैर अपील आदे ा एकतरफातोर पर पे ा किया है। अपीलांट ने विभाजन का वाद के जवाब हेतु रिकॉर्ड चाहा तो जानकारी हुई अपीलांट ने जानबूझकर देरी नहीं की है जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पे ा की है। जो अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे। जिसपर रेस्पो0 ने भी कोई काउन्टर भापथ पत्र व खण्डन पे ा नहीं किया है। चूंकि अपील में सारभूत व गुणावगुण पर सुना जाना आव यक है। इसलिए अपील अन्दर मियाद भुमार की जाती है।

अपीलाधीन भूमि चक 2 बीआरडब्लूएम (ए) के मु0न0 141/23 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की 18.10 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 के 1/6 हिस्से की भूमि दिनांक 08.06.2017 को प्रतिफल रा ि अदा करके खरीद की है। जिसका इंतकाल सं0 218 दिनांक 20.04.2018 आदे ा कायम रखने योग्य नहीं है। चूंकि उक्त जैर अपील आदे ा पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड व आर0आई0 रिपोर्टो के विपरीत जाकर जो जैर अपील आदे ा पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आं िक स्वीकार की जाकर जैर अपील आदे ा इन्तकाल सं0 218 दि: 20.04.2018 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदे ा दिया जाता है कि बैयनामा अनुसार इंतकाल स्वीकृत किया जावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल ुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)